पत्रांक 32 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ::31 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी
गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर।

कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-556/12-3-17-100(36)/2017 दिनांक 02 जून, 2017 के द्वारा रू0 524.34 लाख की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-11 के लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0203-रेशम उत्पादन की योजनायें **की परियोजना** 1-(Modernization and Strenthing of Infrastructure of Quality Silk Production) एवं 2-परियोजना (Creation of Infrastructure and narrowing gap in Silk Production and Demand) योजना के अन्तर्गत जारी की गयी है। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन के पश्चात पुर्नग्रहीत धनराशि रू0 41.00 लाख (रूपये इक्तालीस लाख मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है :-

1. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य अनुमोदित कार्य योजना तथा रेशम विकास अनुभाग उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित आगणन के अनुसार किया जाएगा। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व जिन जनपदों जहॉ निर्माण कार्य प्रस्तावित है वहॉ के उप/सहायक निदेशक, रेशम का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी /सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमो मे लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश सं0-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 07.11.2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

3. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमो के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाएगा जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाएगा। यदि किसी मद में व्यय करने ही अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाए।

4. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
5. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए तथा भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
6. उपर्युक्त योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्य योजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जाएगा।
7. संबंधित उप/सहायक निदेशक, रेशम जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का Impact Assessment कराया जाएगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण निदेशक, रेशम के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए।

8. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा योजनार्न्तगत विगत में निर्गत धनराशि का मदवार व्यय सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।
9. स्वीकृत की गयी धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-11 के लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-रेशम उत्पादन की योजनायें के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-11 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-60 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

31/08/17

(अनिल कुमार यादव)
निदेशक, रेशम

पत्रांक 032 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय , उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी- गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर।
5. नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0, कृषि भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कैम्प निदेशक, रेशम, मुख्यालय-लखनऊ।
8. उप निदेशक, रेशम मुख्यालय-लखनऊ।
9. व्यय सहायक एवं वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
10. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 03 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांकः: 31 अगस्त, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान संख्या-11- के लेखा शीर्षक -4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

800-अन्य व्यय- 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-रेशम उत्पादन की योजनायें

(धनराशि रू0 में)

क0 सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि 26- मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयत्र	योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप निदेशक (रेशम)	गोण्डा	गोण्डा	425000	**425000**	0	**425000**
2	उप निदेशक (रेशम)	बलरामपुर	गोण्डा	425000	**425000**	0	**425000**
3	सहायक निदेशक (रेशम)	बाराबंकी	गोण्डा	500000	**500000**	0	**500000**
	योग			**1350000**	**1350000**	**0**	**1350000**
4	सहायक निदेशक (रेशम)	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी	225000	**225000**	0	**225000**
5	सहायक निदेशक (रेशम)	सीतापुर	लखीमपुर खीरी	250000	**250000**	0	**250000**
	योग			**475000**	**1825000**	**0**	**1825000**
6	सहायक निदेशक (रेशम)	बहराइच	बहराइच	200000	**200000**	0	**200000**
7	सहायक निदेशक (रेशम)	श्रावस्ती	बहराइच	300000	**300000**	0	**300000**
	योग			**500000**	**500000**	**0**	**500000**
8	सहायक निदेशक (रेशम)	पीलीभीत	पीलीभीत	400000	**400000**	0	**400000**
9	सहायक निदेशक (रेशम)	शाहजहाँपुर	पीलीभीत	350000	**350000**	0	**350000**
10	सहायक निदेशक (रेशम)	बरेली	पीलीभीत	25000	**25000**	0	**25000**
11	सहायक निदेशक (रेशम)	रामपुर	पीलीभीत	25000	**25000**	0	**25000**
12	सहायक निदेशक (रेशम)	अमरोहा	पीलीभीत	25000	**25000**	0	**25000**
	योग			**825000**	**425000**	**0**	**425000**
13	सहायक निदेशक (रेशम)	मिर्जापुर	वाराणसी	75000	**75000**	0	**75000**
	योग			**75000**	**550000**	**0**	**550000**
14	सहायक निदेशक (रेशम)	बस्ती	बस्ती	575000	**575000**	0	**575000**
15	सहायक निदेशक (रेशम)	सिद्धार्थ नगर	बस्ती	100000	**100000**	0	**100000**
	योग			**675000**	**1750000**	**0**	**1750000**
16	उप निदेशक (रेशम)	महाराजगंज	गोरखपुर	200000	**200000**	0	**200000**
	योग			**200000**	**3175000**	**0**	**3175000**
	महायोग			**4100000**	**9575000**	**0**	**9575000**

तेरह अंको का कोड नम्बर

4	4	0	1	8	0	0	0	2	0	2	0	3

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी